

दिनांक 08 -03-2022

उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट जिल जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र क्रमांक/प्र.ग.स./2021/555 दिनांक 6-12-2021 के के विरुद्ध प्रस्तुत की है। उक्त अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है।

वकील अपीलांट श्री गिरधरसिंह भाटी उपस्थित । अपीलांट अधिवक्ता की अपील के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 6-12-2021 एवं अपील के साथ प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा चाही गई इस्तदुआ पर मनन किया, अपीलान्ट अधिवक्ता का मुख्य कथन यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने हमे पक्षकार बनाये बिना, नोटिस दिये बिना तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश के जरिये हमारी खातेदारी भूमि मे से रास्ता निकाल दिया जबकि विधि के प्रावधान अनुसार किसी भी खातेदार की खातेदारी भूमि बिना खातेदार की सहमति के तथा उसको सुने बिना खातेदारी भूमि का रकबा कम नही किया जा सकता है तथा यह भी कथन किया कि राज्य सरकार के रास्तो सम्बधी जारी परिपत्र मे भी सुनवाई का अवसर देने के निर्देश होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, वह विधि एवं न्याय संगत है।

इस सम्बध मे अपीलान्ट अधिवक्ता ने प्रथमतः अपीलाधीन आदेश की पालना एवं प्रभाव को रोके जाने का निवेदन किया तथा विकल्प मे यह भी कथन किया कि प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय मे हमे सुनवाई का अवसर देकर, मौके फर्द हमारी उपस्थिति मे तैयार की जाने हेतु प्रकरण रिमाण्ड करने का निवेदन किया।



श्री. सम्भागीय न्यायालय,
जोधपुर

हमने अपील अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन आदेश एवं पत्रावली के साथ प्रस्तुत पत्रादि का अवलोकन एवं अध्ययन किया। जिसके अनुसार प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्त को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है।

अतः अपीलान्त की उक्त अपील आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश क्रमांक/प्र.ग.स./2021/555 दिनांक 6-12-2021 में इस आशय के अतिरिक्त निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलान्त को सुनवाई का नोटिस जारी कर, उसे सुनकर उसकी उपस्थिति में मौका निरीक्षण करे। उक्त कार्यवाही एक माह में सम्पादित करते हुए अपीलान्त के खातेदारी की भूमि में से रास्ते के सम्बन्ध में पुनः विधिसमत निर्णय पारित करे। तब तक अपीलाधीन आदेश में उल्लेखित अपीलान्त के खातेदारी ग्राम गोरछियाबेरा के खसरा नम्बर 180 के सम्बन्ध में किसी तरह की कार्यवाही नहीं करे। अतिरिक्त इस निर्देश के साथ उक्त अपील का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।



प्रति • पञ्जाबी बाहुत
मुम्बई